क्रम-संख्या–212

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 1 नवम्बर, 2021

कार्तिक 10, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग–3

———

संख्या 451/65-3–2021-01-2017

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2021

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–79

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 सन् 2016) की धारा 101 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कक्ष संख्या-301, तृतीय तल, बापू भवन, लखनऊ को लिखित रूप से सम्बोधित करके प्रेषित किये जाएंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-21 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में, नियम 21 में, नीचे सतम्भ-1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर सतम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

सतम्भ-1	सतम्भ-2

विद्यमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
21 (1)—कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अधीन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त (जिसे आगे इस अध्याय में राज्य आयुक्त कहा गया है) के रूप में तब तक नियुक्त किये जाने हेतु अर्ह नहीं होगा जब तक-	21—(1) कोई व्यक्ति आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि-
(क) उसके पास विकलांगजन के पुनर्वास से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव न हो;	(क) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक न हो: परन्तु यह कि सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजन शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा धारण करने वाले व्यक्ति को अधिमान प्रदान किया जायेगा।
(ख) उस वर्ष, जिसमें राज्य आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए विज्ञापन में यथाविनिर्दिष्ट आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने का अन्तिम दिनांक नियत हो, के एक जनवरी को छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त न किया हो;	(ख) वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित मामलों को व्यवहृत करने वाले किसी अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी निकाय में समूह "क" स्तरीय पद पर अथवा दिव्यांगता या सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन में ज्येष्ठ स्तर के कृत्यकारी के रूप में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव धारित न कर ले: परन्तु यह कि पन्द्रह वर्ष के कुल अनुभव में से उसके पास दिव्यांगजन के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए; और
(ग) उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव न हो, अर्थात्:- (क) शैक्षिक अर्हताएं— (एक) आवश्यक- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। (दो) वांछनीय सामाजिक **काय** या	(ग) वह भर्ती वर्ष के 1 जनवरी को छप्पन वर्ष की आयु से कम न हो।

<u>सतम्भ-1</u> विद्यमान उपनियम	<u>सतम्भ-2</u> एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
विधि या प्रबन्धन या मानवाधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजन शिक्षा में मान्यता प्राप्त उपाधि या डिप्लोमा। <u>अनुभवः-</u> निम्नलिखित में समूह 'क' स्तरीय पद पर कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव- (एक) केन्द्र या राज्य सरकार; या (दो) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र का व्यवहृत करने वाले अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी निकाय; या (तीन) दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले रजिस्ट्रीकृत राज्य या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से स्वैच्छिक संगठन में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी की हैसियत से कार्य; परन्तु इस उपखण्ड में उल्लिखित कुल पन्द्रह वर्ष के अनुभव में से दिव्यांगजन के **सशक्तिकरण** के क्षेत्र में निकटपूर्व में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।	

आज्ञा से,
हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 451/LXV-3–2021-1-2017, dated November 01, 2021 :

No. 451/LXV-3–2021-1-2017

Dated Lucknow, November 1, 2021

THE following draft rules, which the Governor proposes to make, in excercise of the powers under section 101 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act no. 49 of 2016) is hereby published with a view to inviting objections and suggestions as required under sub-section (1) of the said section.

Objections and suggestions, if any, shall be sent in writing addressed to the Additional Chief Secretary, Uttar Pradesh Shasan, Divyangjan Sashaktikaran Vibhag, Room No. 301, 3rd floor, Bapu Bhawan, Lucknow.

Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

Draft Rules

THE UTTAR PRADESH RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (FIRST AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities (First Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 21

2. In the Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 in rule 21, in sub-rule (1) set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *subsituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
21. (1) A person shall not be qualified to be appointed as a State Commissioner for Persons with Disability under sub-section (1) of section 79 of the Act (here in after in this Chapter referred to as the State Commissioner) unless,-	21. (1) No Person shall be eligible for appointment as Commissioner, Unless-
(a) he has special knowledge or practical experience in respect of the matters relating to rehabilitation of persons with disabilities;	(a) he is a Graduate from a recognized University: Provided that preference shall be given to person having recognized degree or diploma in social work or law or management or human rights or rehabilitation or education of persons with disabilities;
(b) he has not attained the age of fifty six years on the 1st January of the year in which the last date for receipt of applications, as specified in the advertisement inviting applications for	(b) he is having at least fifteen years experience in a Group "A" level post in the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a semi Government or an autonomous body dealing with

appointment of the State Commissioner, occurs;	disability related matters or social sector or as senior level functionary in registered national and international voluntary organization in the field of disability or social development: Provided that out of the total of fifteen years of experience, he should have at least three years of experience in the field of rehabilitation or empowerment of persons with disabilities; and
(c) he possesses the following educational qualifications and experience, namely:- (A) Educational qualifications: (i) essential: Graduate from a recognized University; (ii) desirable: recognized degree or diploma in Social Work or Law or Management or Human Rights or Rehabilitation or Education of disabled persons.	(c) He is less than fifty-six years of age as on Ist January of the year of recruitment.
COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
(B) Experience: atleast fifteen years experience in a Group 'A' level post:- (i) in Central or State Government; or (ii) Public Sector Undertakings or Semi Government or Autonomous Bodies dealing with disability related matters or social sector, or (iii) works in the capacity of a senior level functionary in a registered state or national or international level voluntary organization working in the field of disability or social development: Provided that out of the total fifteen years experience mentioned in this sub-clause, at least three years of experience in the recent past had been in the field of empowerment of persons with disabilities.	

By order,
HEMANT RAO,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 390 राजपत्र–2021–(875)–599 प्रतियां–(क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 दिव्यांगजन सशक्तिकरण–2021–(876)–150 प्रतियां–(क0/टी0/ऑफसेट)।